बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 278

उचित परिवर्तन

सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा को पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार संस्थागत योग्यता के पर्यवेक्षण में नाकाम साबित हुई है। न्यायपालिका की ओर से जारी अंतर्निहित झिड़की वाले आदेश में अदालत ने सरकार से कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर एक चयन समिति गठन करके वर्मा की स्थिति पर विचार करे। इस समिति में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश (वह स्वयं उस तीन सदस्यीय पीठ के सदस्य हैं जिसने मंगलवार को सर्वसम्मति से यह आदेश दिया) और नेता प्रतिपक्ष (कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे) शामिल हैं। एक स्तर पर इस आदेश को सरकार के लिए झटका माना जा सकता है क्योंकि सरकार ने गत वर्ष अक्टूबर में वर्मा और उनके अधीनस्थ राकेश अस्थाना के बीच छिड़े विवाद के बाद वर्मा का विवादास्पद रूप से स्थानांतरण कर दिया था।

परंतु आदेश को अगर गौर से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा और अस्थाना के बीच के विवाद पर किसी तरह की राय देने से परहेज किया है। दोनों के झगड़े में आधी रात को सीबीआई ने अपने ही मुख्यालय पर नाटकीय ढंग से छापा भी मारा था। उदाहरण के लिए अदालत ने अस्थाना को हटाने को लेकर कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका, उनके और सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए विशेष जांच टीम के गठन और वर्मा द्वारा दायर प्राथमिकी आदि पर कोई निर्णय नहीं दिया। इसके बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति और बर्खास्तगी से जुड़े दो कानूनों की कड़ी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सार यह है कि सीबीआई के कामकाज की निगरानी करने वाला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) दोनों ही सीवीसी अधिनियम और सीबीआई का गठन करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन वर्मा के स्थानांतरण का आदेश जारी करने के लिए योग्य नहीं थे। सीवीसी और सीबीआई के गठन के न्यायिक इतिहास की समीक्षा करते हुए अदालत ने कहा कि अन्य चीजों के अलावा सीबीआई निदेशक को एक चयन समिति चिह्नित करेगी, न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा और अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए भी चयन समिति का समर्थन आवश्यक होगा। अदालत के शब्दों में कहें तो उसने एक विशुद्ध विधिक प्रश्न उठाया है जिसका उत्तर विधि के ज्ञात एवं स्थापित सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, इस निर्णय ने किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं किया। हालांकि निर्णय ने उस सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है जिसने बीते चार वर्ष के दौरान संस्थानों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित नहीं किया है। ऐसे सवाल मौजूद हैं कि आखिर क्यों वर्मा के अधिकारों में कटौती की गई और उनके कार्यकाल के गंवाए गए तीन महीनों की बहाली क्यों नहीं की गई (उनका कार्यकाल समाप्त होने में महज 21 दिन बचे हैं)। अदालत ने कहा कि वर्मा कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते लेकिन वह रोजमर्रा का कामकाज संभाल सकते हैं। कई लोग मान रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि वर्मा नई जांच शुरू कर सकते हैं, हालांकि इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती। न्यायपालिका ने इस निर्णय की मदद से सरकार को कड़ा संदेश दिया है लेकिन इससे न तो मौजूदा विवाद पर कोई फर्क पड़ा है और न ही सीबीआई की विश्वसनीयता बहाल हुई है। ऐसे में याचियों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के शब्द उधार लें तो, 'शल्य चिकित्सा सफल रही लेकिन मरीज पंगु हो गया।'

बिनय सिन्हा

क्या 2019 में आएगा आय में सुधार ?

एक कठिन, अस्थिर और धीमे वैश्विक परिदृश्य में 2019 वाकई बदलाव लाने वाला वर्ष साबित हो सकता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **आकाश प्रकाश**

बीते पांच वर्षों में जिन बड़ी हताशाओं का सामना करना पड़ा उनमें एक है देश में कारोबारी जगत का कमजोर प्रदर्शन। बीते पांच वर्ष में आय में वृद्धि बमुश्किल 5 फीसदी दर्ज की गई। इसने न केवल अनुमानों को झुठलाया बल्कि निवेशकों को भी हताश किया। हर निवेशक यह सुनकर थक चुका है कि जीडीपी और कारोबारी मुनाफे का अनुपात कितना गिर चुका है और देश के कारोबारी जगत का मुनाफा कितने निचले स्तर पर है। ऐसी कई नीतिगत प्रस्तुतियां देखने को मिलीं जिनमें कहा गया कि पांच साल की अवधि में कमजोर पड़ते मुनाफे को दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। अनुमान जताया गया कि व्यापक बाजार की समेकित सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) आय वृद्धि 20 फीसदी रहेगी। बीते पांच वर्षों के दौरान हर वर्ष ये अनुमान जताए जाते रहे और कहना न होगा कि इन सिलसिले में कोई सफलता नहीं मिल सकी। हर वर्ष आय के अनुमानों को कम करना पड़ा। आंकड़ों में भारी कटौती करनी पड़ी। कई मामलों में तो यह कटौती काफी भारी थी। कई निवेशक हताश होने लगे। कुछ ने कहा कि अब वे आय में सुधार पर तभी यकीन करेंगे जब उनको यह वाकई में नजर आएगी। भारतीय बाजार का मूल्यांकन केवल तभी तार्किक नजर आता है जब यह मान लिया जाए कि आय में सुधार और मुनाफा मार्जिन सामान्य हो जाएगा।

परंतु मेरा यह मानना है कि वर्ष 2020 बीते वर्षों से अलग साबित हो सकता है। इसकी एक ठोस वजह है। आम सहमति इस बात पर है कि आय में वृद्धि 20 से 25 फीसदी के दायरे में रह सकती है। मेरा मानना है कि हम ये आंकड़े हासिल कर सकते हैं। यह एक बहुप्रतीक्षित और ताजा बदलाव होगा। वित्त वर्ष 2020 में आय वृद्धि का आधार कॉर्पोरेट बैंकों के मुनाफे में सुधार होगा। वित्त वर्ष 2020 में आय में चरणबद्ध वृद्धि का 50-60 फीसदी हिस्सा कॉर्पोरेट बैंकों के मुनाफे में सुधार से आएगा। इनमें निजी और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। चूंकि ये बैंक इस वित्त वर्ष के अंत तक अपने ऋण नुकसान की पहचान और उसकी प्रोविजनिंग दोनों कर चुके होंगे तो यह कहा जा सकता है कि ऋण की लागत कम होने के कारण मुनाफे में तेजी से सुधार होगा।

वार्षिक ऋण अंतराल में धीमापन आने और वित्त वर्ष 2019 में अधिकांश बैंकों के कवरेज अनुपात के करीब 50-60 फीसदी होने तथा ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के जरिये फंसे हुए कर्ज के अधिकांश मामलों के निस्तारण के कारण वित्त वर्ष 2020 में मुनाफे के पथ पर वापसी हो सकती है।

एक बात जिससे भरोसा पैदा हुआ है वह यह कि मुनाफा प्राप्त करने के लिए ऋण में भारी वृद्धि अथवा शुद्ध आय मार्जिन (एनआईएम) में विस्तार की जरूरत नहीं होगी। एक तार्किक अनुमान यह है कि ऋण की लागत 300 आधार अंकों से गिरकर करीब 100 आधार अंक के अधिक सामान्य स्तर पर आ जाएगी। कॉर्पोरेट बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय क्षेत्र भी वित्त वर्ष 2020 में चरणबद्ध मुनाफा वृद्धि का प्रदर्शन करेंगे। आईएलएफएस डिफॉल्ट के कारण वित्त वर्ष 2019 की दूसरी छमाही में इन सभी वित्तीय क्षेत्रों पर नकदी संकट के चलते बहुत बुरा असर पड़ा था। ऐसे में वित्त वर्ष 2020 में सुधार आ सकता है क्योंकि नकदी की स्थिति सामान्य हुई है।

बीते कुछ महीनों में रुपये में 10 फीसदी तक की कमजोरी आई है। इस गिरावट का लाभ भी वित्त वर्ष 2020 में आय में सुधार के रूप में हमें नजर आएगा।

चालू वर्ष में हेजिंग के चलते सुधरे हुए मुनाफे का पूर्ण वास्तवीकरण नहीं हो सका और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में बदलाव आया। रुपये का लाभ न केवल निर्यातकों को मिलेगा बल्कि आयात के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रही कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। आईटी सेवा क्षेत्र, जेनेरिक दवा निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातकों को इससे काफी लाभ हो सकता है। आईटी सेवा कंपनियों दो अंकों से अधिक की वृद्धि हासिल हो सकती है क्योंकि डिजिटल क्षेत्र में उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। दुनिया भर में आईटी क्षेत्र के व्यय में वृद्धि हो रही है और कंपनियों के मार्जिन और पूंजी आवंटन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि व्यापक बाजार की दृष्टि से उनके मुनाफे में 10 फीसदी की वृद्धि नजर आ सकती है।

वित्त वर्ष 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एक अन्य क्षेत्र वाहन क्षेत्र हो सकता है। वित्त वर्ष 2021 में उत्सर्जन मानकों में अहम बदलाव होने के चलते वाहनों की पूर्व खरीद में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। वाणिज्यिक वाहनों से लेकर डीजल कारों, उपयोगी वाहनों और दोपहिया वाहनों तक की लागत में काफी इजाफा होगा क्योंकि भारत को बीएस-6 मानक अपनाने होंगे। जाहिर सी बात है इन मानकों के लागू होने के पहले वाणिज्यिक वाहनों की खरीद में तेजी से इजाफा होगा। यह प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। अगर कारोबार के आकार में बढ़ोतरी हुई तो समूची शृंखला को लाभ होगा। इसमें मूल उपकरण निर्माताओं से लेकर कलपुर्जे बनाने वाले तक सब शामिल हैं।

इसके अलावा ऐसे भी संकेत हैं कि निजी क्षेत्र के निवेश चक्र में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है क्योंकि तमाम औद्योगिक क्षेत्रों से क्षमता के बेहतर इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं। निवेश में सुधार से मुनाफे में भी सुधार होगा। इस बात को देखते हुए अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020 में सुधार देखने को मिलेगा और अधिकांश वृहद आर्थिक चर स्थिर बने रहेंगे। दरों में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा अधिकांश खपत आधारित क्षेत्रों में मुनाफे में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

वित्त वर्ष 2020 वह वर्ष साबित हो सकता है जब आय में अनुमान के मुताबिक सुधार देखने को मिले और निवेशकों का उत्साह पुन: जागे। धीमी होती वृद्धि के इस दौर में कुछ ही बाजार ऐसे होंगे जो 20 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाएं। अगर ऐसा हुआ तो बाजार स्थिर होंगे और सकारात्मक माहौल बनेगा।

आय वृद्धि में इजाफा होने से बाजार में अस्थिरता कम होगी। प्रबंधन की गुणवत्ता और बेहतर कारोबारी गणित के साथ कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने बीते 5 साल के दौरान 15 से 20 फीसदी की स्थिर और निरंतर आय वृद्धि दर्शाई है। यह उस दौर में हुआ जब बाजार बमुश्किल 5 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल कर रहा था।

उम्मीद की जानी चाहिए कि वित्त वर्ष 2020 वह वर्ष होगा जब आय में सुधार होगा। एक कठिन, अस्थिर और धीमे पड़ते वैश्विक परिदृश्य में भारत अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश साबित हो सकता है।

ई-कॉमर्स नीति पर सरकारी रुख और चुनावी गणित

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

ई-कॉमर्स सेवा-प्रदाता कंपनियों के बारे में अपनी नीति पर सरकार के रुख में बार-बार बदलाव इस ओर इशारा करता है कि देश आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और प्रभावशाली तबकों की लॉबीइंग की ताकत आने वाले दिनों में अधिक तीव्रता से दिखेगी। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री सेल के लिए खास सौदे करने से रोकने वाला परिपत्र जारी होने के कुछ दिन बाद ही सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि पाबंदियों के दायरे में इन कंपनियों के अपने ब्रांड नहीं आते हैं।

एमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने 30 ब्रांड के तहत 200 से अधिक श्रेणियों में उत्पाद मुहैया कराते हैं। इस लिहाज से सरकार का गुरुवार को आया आदेश दोनों ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि उनकी सभी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं और नीति में बदलाव के नतीजे कुछ समय बाद ही पता चल पाएंगे। देखने से यही लगता है कि सरकार का ई-कॉमर्स कारोबार संबंधी पुराना निर्णय उन सभी छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए समान अवसर मुहैया कराने से प्रेरित था जो एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जरिये भारत में अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनी इक्विटी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोकने वाले उस फैसले में राजनीति की भूमिका साफ नजर आ रही थी। दरअसल ई-कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां सौ फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है लेकिन ऐसे खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिबंध की शर्त यह है कि वे केवल दूसरी विक्रेता कंपनियों की बिक्री का ही प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। खुदरा कारोबारा में विदेशी निवेश भारत में हमेशा एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा रहा है। मनमोहन सिंह की अगुआई वाली संप्रग सरकार ने वर्ष 2011 में मल्टी-ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और एकल-ब्रांड खुदरा कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देने का फैसला किया था। लेकिन उसके साथ एक अनूठी शर्त भी रखी गई थी। भारत की एफडीआई नीतियां कभी भी राज्य-स्तरीय अनुमति का विषय नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामपंथी दलों के कड़े विरोध के चलते संप्रग सरकार ने खुदरा कारोबार में एफडीआई के लिए यह शर्त रख दी कि भारत में एकल या बहुल-ब्रांड का खुदरा प्रतिष्ठान खोलने की मंशा रखने वाली विदेशी कंपनियों को उन राज्यों से भी मंजूरी लेनी होगी जहां पर वे कारोबार करना चाहती हैं। इस तरह जब भाजपा ने वर्ष 2014 में केंद्र में अपनी सरकार बनाई तो खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में किसी भी राहत की उम्मीद नहीं थी। भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में कारोबारियों की बड़ी तादाद रही है, लिहाजा विदेशी खुदरा विक्रेता कंपनियों को यह डर सता रहा था कि कहीं एफडीआई नीति में दी गई रियायतों को वापस न ले लिया जाए। लेकिन ऐसा होने के बजाय वर्ष 2016 में भाजपा सरकार ने मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देकर सबको अचरज में डाल दिया। इस कदम का सर्वाधिक फायदा एमेजॉन और फ्लिपकार्ट को हुआ। उस समय तक एमेजॉन भारत में अपनी ई-कॉमर्स गतिविधियां शुरू कर चुका था जबकि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन खुदरा बाजार की बड़ी कंपनी बन चुकी थी। सरकार की इस नीति से ही प्रोत्साहित होकर वॉलमार्ट ने 2018 की शुरुआत में फ्लिपकार्ट में निवेश का मन बनाया। इसने फ्लिपकार्ट में नियंत्रक हिस्सेदारी लेने के लिए करीब 16 अरब डॉलर का निवेश किया था।

इस सौदे ने भाजपा के भीतर एक सियासी तूफान पैदा कर दी थी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारतीय प्रवर्तकों वाली कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण की इजाजत एक अमेरिकी कंपनी को दिए जाने पर सवाल उठाए थे। तीन हिंदीभाषी राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गत महीने मिली चुनावी शिकस्त ने भाजपा के परंपरागत वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकने वाली नीतियों को लेकर पार्टी के भीतर सुगबुगाहट तेज कर दी है। छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधि संगठनों ने इस नीति में बदलाव की मांग तेज कर दी थी। ऐसे में आम चुनावों के कुछ महीने ही दूर रहने से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसी पाबंदियों की आशंका पहले से थी।

कुछ हफ्ते पहले सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों (एमएसएमई) की मदद के लिए कर्ज मंजूरी के सरल मानकों वाला नीतिगत पैकेज लेकर आई थी। इसमें एमएसएमई को 59 मिनटों के भीतर कर्ज मंजूर करने का वादा किया गया है। इसी तरह, इन इकाइयों को रोजमर्रा के कई नियमों के अनुपालन के लिए अदालतों के चक्कर काटने की परेशानी से भी निजात दे दी गई है। तेजी से ऋण स्वीकृत करने और अधिक सरल नियामकीय अनुपालन होने का वास्तविक असर यह हुआ है कि कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। लेकिन सरकार यह संदेश देने में सफल रही कि वह एमएसएमई क्षेत्र की मुश्किलों से परिचित है और उन्हें नोटबंदी से लगी चोट से उबारने में मदद करने के लिए वह तैयार है।

गुरुवार का परिपत्र जारी होने के बाद बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां अब अपने कारोबार को नए मानकों के अनुरूप नए सिरे से ढालने में जुट गई हैं। सरकार नए कारोबारों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना आगे भी जारी रख सकती है। लेकिन दुनिया के बीच यह संदेश गया है कि भारत में चुनाव होने वाले हैं और सरकार राजनीतिक रूप से अहम उद्योगों और कारोबारों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने से गुरेज नहीं करेगी। अगर इन फैसलों से कारोबार के बुनियादी नियमों में अचानक फेरबदल होता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव करीब आते ही विदेशी निवेशक भारत में नई पूंजी लगाने या मौजूदा कारोबार के विस्तार से खुद को दूर रखने की सोच सकते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ही चुनावी गतिविधियां तेजी पकड़ेंगी। इस तरह चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

कानाफूसी

भाई-भाई

सोमवार को विपक्षी दलों में उस समय उत्साह देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा में एकजुटता दिखाई। दोनों दलों के बीच अतीत में गहरे मतभेद रहे हैं लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में दोनों ने मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है। सपा और बसपा के सदस्यों तथा अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य सभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच का विरोध किया। यह जांच कथित अवैध खनन के मामले में की जा रही है। राज्य सभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा क्योंकि विरोध प्रदर्शन काफी तीव्र था। बाद में सपा नेता राम गोपाल यादव और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने साझा संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। गौरतलब है कि ऐसा कम ही मौकों

मप्र कांग्रेस में हलचल

मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है लेकिन सरकार की स्थिरता को लेकर शक-शुबहा अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। पहले उच्च शिक्षा, खेल और युवा मामलों के मंत्री जीतू पटवारी और उसके बाद वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया लेकिन कांग्रेसी खेमे में घबराहट महसूस की जा सकती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तत्काल तमाम स्वतंत्र विधायकों और पार्टी के नाराज विधायकों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिए। इनमें बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया और भगवानपुरा के विधायक केदार डावर भी शामिल हैं। सिंह ने तो यहां तक कहा कि वह कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जो बच्चा रोता है, उसे ही दूध मिलता है।

आपका पक्ष

आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण

संविधान लागू होने के साथ ही जातिगत आरक्षण दिया जाने लगा। दलित, पिछड़े, वंचित और शोषित वर्ग के लिए यह व्यवस्था होना सामाजिक समरसता के लिए बिलकुल सही और सुविचारी था। राजनीतिज्ञों ने इस वर्ग को जब से वोट बैंक समझना शुरू कर दिया तब से इस व्यवस्था के विरोध में स्वर उठने लगे। वे संविधान सम्मत अवधि समाप्त होने के बाद कई दशकों तक इस वोट बैंक को भुनाते चले गए। निर्धन और अभावग्रस्त सवर्ण यह सब असहाय होकर देखते रहे। जो व्यवस्था समाज में समानता और अखंडता के लिए बनाई गई थी वह वर्ग भेद में बदलने लगी। राजनीतिक पार्टियां सभी को समान अवसर और अधिकार देने के बजाय जातिगत समीकरण जुटाने में लग गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल जाति प्रमाणपत्र को नौकरी, शिक्षा या अन्यत्र लाभ देने के बजाय आर्थिक रूप से जरूरतमंद को उचित सहायता दी जाए तो वर्ग भेद मिटाना आसान होगा। आर्थिक आधार लिया जाए तो इसमें सभी जातियां समाहित होंगी तथा पक्षपात न होगा।

हिम्मत जोशी, नागपुर

मंगलवार को गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक संसद में रखा गया

छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरा साल

इस साल के कारोबार के लिहाज से उम्मीदों की बात करें तो इस साल छोटे कारोबारियों के मुद्दे हावी रहने की उम्मीद है। छोटे कारोबारी बीते दो साल खासकर नोटबंदी के बाद से काफी परेशान हैं। विपक्ष छोटे कारोबारियों को बड़ा मुद्दा बना रहा है। सरकार ने भी बीते महीनों में इन कारोबारियों को राहत देने के लिए कई कदम उठाये हैं। चूंकि इस साल देश में आम चुनाव होने हैं और इन चुनावों में छोटे कारोबारियों के मतों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। ऐसे में मौजूदा सरकार इन कारोबारियों को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती है। इसलिए सरकार चुनाव से पहले छोटे कारोबारियों के लिए तमाम राहत भरी घोषणाएं कर सकती है। जिससे रियायती ब्याज दर पर कर्ज, जीएसटी के तहत पंजीयन के लिए कारोबार की सीमा बढ़ाना आदि शामिल है। चुनाव बाद बनने वाली नई सरकार भी छोटे कारोबारियों की अनदेखी नहीं करेगी। क्योंकि रोजगार देने की सबसे बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देना सबसे ज्यादा जरूरी है।

रविंद्र सिंह, जयपुर

कारोबारियों को राहत की आस

नए साल में कारोबारियों को लागत के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले साल डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर होने से उद्योग की लागत बढ़ी थी। क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर कच्चे माल का आयात होता है। लागत बढ़ने से कारोबारियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ा। क्योंकि लागत बढ़ने के अनुरूप उत्पादों के दाम नहीं बढ़े। क्योंकि दाम ज्यादा बढ़ने पर मांग तेजी से गिरने का खटका रहता है। डीजल के दाम बढ़ने से भी लागत बढ़ी थी। विनिर्माण इकाइयों में बिजली कटौती पर जनरेटर और औद्योगिक ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग होता है। साथ ही सड़क मार्ग से माल की ढुलाई महंगी होने से भी लागत का बोझ बढ़ा। अब रुपये और डीजल की कीमतों में सुधार हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होने के आसार है। जिससे इस साल कारोबारियों को लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है।

अनिल सिंह चौहान, गाजियाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।